विषय : हिंदी कार्यशाला का आयोजन - रिपोर्ट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, दिल्ली द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के हिंदी संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

इसी क्रम में, बोर्ड मुख्यालय में **दिनांक 21.05.2024** को बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला **श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, संयुक्त सचिव (प्रशासन व विधि)** की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में संचालित हुई। **कार्यशाला का विषय - "सरकारी कार्यालयों में प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना और पुरस्कार के माध्यम से राजभाषा का कार्यान्वयन" था**। इस कार्यशाला में **श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली** को मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में 64 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए।

कार्यशाला की शुरुआत में मुख्य अतिथि श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक (राजभाषा) का स्वागत किया गया तथा कार्यशाला के उद्देश्य एवं उसकी रूपरेखा की जानकारी दी गई। सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनने एवं कार्यालय के दैनिक कार्य में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए इसका उपयोग करने का आग्रह किया।

मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित श्री जगदीश राम पौरी जी ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसके उपरांत राजभाषा हिंदी के संबंध में हिंदी के प्रयोग, उपयोग, अभिप्रेरणा के बारे में जानकारी दी। अतिथि वक्ता ने शासन-प्रशासन की भाषा क्या हो, जन-जन की भाषा क्या है, हिंदी के प्रति स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा, ऋषियों की भाषा क्या थी आदि विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिंदी हमें आपस में जोड़ती है। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अतिथि वक्ता ने बताया कि हिंदी को संविधान सभा में अनुच्छेद 343(1) के तहत राजभाषा का दर्जा मिला। उन्होंने बताया कि इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार भारत को "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किए जाने वाले दस्तावेज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। इसी की साथ-साथ उन्होंने अनुच्छेद 120, 210, 343 तथा अनुच्छेद 344 से अनुच्छेद 351 के बारे में भी बताया।

अतिथि वक्ता ने बताया कि राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र" की रणनीति - रूपरेखा (Framework) की निम्नलिखित संरचना के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है :

1. प्रेरणा
2. प्रोत्साहन
3. प्रेम
4. प्राइज़ अर्थात पुरस्कार
5. प्रशिक्षण
6. प्रयोग
7. प्रचार
8. प्रसार
9. प्रबंधन
10. प्रमोशन (पदोन्नति)
11. प्रतिबद्धता
12. प्रयास

कार्यशाला के दौरान शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त **बारह "प्र"** को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी। अंत में, श्रीमती पूनम मल्होत्रा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के बाद हिंदी कार्यशाला संपन्न हुई।

हिंदी कार्यशाला की झलकियाँ (21.05.2024)